

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य(ग्रुप-2)विभाग

कमाक:पं0 6(1)चिस्वा/2/2023/ई-21899

जयपुर,दिनांक:

निदेशक (जन.स्वा.),
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राज.जयपुर।

विषय:- डा0 रामप्रसाद , वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र राजगढ, चूरु को विभागीय जांच बकाया नहीं का प्रमाण पत्र जारी करने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है डा0 रामप्रसाद (20.02.1962) वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र राजगढ, चूरु जो राज्य सेवा से दिनांक 29.02.2024 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

डॉ. रामप्रसाद के विरुद्ध आज दिनांक तक:-

- 1-राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 2-राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-19 के अधीन विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 3-कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

डॉ. रामप्रसाद के विरुद्ध आपके अभिलेख अनुसार कोई विभागीय जांच इत्यादि लम्बित नहीं है, भी सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(निमिषा गुप्ता)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चूरु।
3. डॉ. रामप्रसाद, जरिये निदेशक (जन.स्वा.)।
4. निजी/रक्षित पत्रावली।

Signature valid

RajKaj Ref
4937118



Digitally signed by Nimisha Gupta
Designation: Joint Secretary To
Government
Date: 2023.10.27 15:28:52 IST
Reason: Approved

2

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
क्रमांक : ई/चि0अ0/आर-1352/2023/552 दिनांक : 2/11/23

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग राजस्थान जयपुर को उनके आदेश दिनांक 26.10.2023 के कम में।
2. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन-बीकानेर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रतनगढ चूरु को भेजकर लेख है कि डॉ0 रामप्रसाद, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र राजगढ चूरु के विरुद्ध निदेशालय स्तर पर कोई विभागीय जाँच विचाराधीन नहीं है। अपने स्तर पर अभिलेख की जाँच कर कार्यवाही करे।
4. डॉ0 डॉ0 रामप्रसाद, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी द्वारा नियंत्रक अधिकारी।
5. अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी एटीसी/डीपीसी मुख्यालय।
6. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को पत्र की प्रति प्रेषित कर लेख है कि विभागीय बेबसाईट पर आज ही अपलोड करावें।
7. रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर।

RajKaj Ref
4991036

Document certified by RAVI PRAKASH
MATHUR <rpm272004@yahoo.co.in>

Digitally Signed by RAVI
PARKASH MATHUR
Designation: Director
Date :01-11-2023 10:41:52